नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 91/2017 (अपील)

उनवान

रामस्वरूप आत्मज श्री कल्याण दास जाति बैरागी, निवासी ग्राम हनोतिया, तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

नन्दकिशोर आत्मज श्री छोटूलाल जाति बैरागी, निवासी हनोतिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रूपनारायण सिसोदिया (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 09.03.2017
न्यायालय तहसीलजदार दीगोद तहसील दीगोद, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ तहसीलदार दीगोद के निर्णय दिनांक 09.03.2017 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि उक्त जैर अपील निर्णय खिलाफ न्याय, विधि एंव तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। जो निरस्त किऐ जाने योग्य है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा द्वारा खोला गया इन्तकाल नम्बर 736 दिनांक 6.08.2007 के विरूद्ध माननीय न्यायालय (अति0 जिला कलेक्टर कोटा) में अपील पेश की गई थी, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2008 को पारित करते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 736 को अपास्त कर दिया गया था। तथा प्रकरण को वसीयत की जांच कर तथा पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया था। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख जाने पर उनके द्वारा दिनांक 09.03.2017 को निर्णय पारित करते हुऐ मृतक की विरासत के आधार पर जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किऐ जाने के आदेश दिये गये तथा यह भी आदेश दिये गये कि निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को भेज कर लिखा जावे कि विरासत दर्ज किऐ जाने से पूर्व प्रार्थी का मृतक के यहां जन्म होना यानि प्रार्थी मृतक का ही पुत्र है, जिसकी जांच उपरान्त ही विरासत दर्ज की जावे। इस तथ्य को ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जावे, ग्राम पंचायत के निर्णय एंव जांच उपरान्त ही सही वारिसान दर्ज किऐ जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा पूरी तरह से साबित कर दिया गया था कि अपीलाण्ट मृतक का पुत्र है, तथा

उक्त कथन को अधीनस्थ न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किऐ जाने हेतु स्पष्ट स्पीकींग आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर पूर्व में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 736 को राजस्व रिकार्ड से निरस्त किया जाने व अपीलाण्ट को मृतक का पुत्र होने से उसके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करे, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट की ओर से मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि "अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा द्वारा खोला गया इन्तकाल नम्बर 736 दिनांक 6.08.2007 के विरूद्ध माननीय न्यायालय (अति0 जिला कलेक्टर कोटा) में अपील पेश की गई थी, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2008 को पारित करते हुऐ नामान्तरकरण संख्या 736 को अपास्त कर दिया गया था। तथा प्रकरण को वसीयत की जांच कर तथा पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया था। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख जाने पर उनके द्वारा दिनांक 09.03.2017 को निर्णय पारित करते हुऐ मृतक की विरासत के आधार पर जायज वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किऐ जाने के आदेश दिये गये तथा यह भी आदेश दिये गये कि निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को भेज कर लिखा जावे कि विरासत दर्ज किऐ जाने से पूर्व प्रार्थी का मृतक के यहां जन्म होना यानि प्रार्थी मृतक का ही पुत्र है, जिसकी जांच उपरान्त ही विरासत दर्ज की जावे। इस तथ्य को ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जावे, ग्राम पंचायत के निर्णय एंव जांच उपरान्त ही सही वारिसान दर्ज किऐ जावे।" जिसके अनुसार अधीनस्थ तहसीलदार दीगोद द्वारा पारित जैर अपील आज्ञा दिनांक 09.03.2017 इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.10.2008 के अनुक्रम में स्पष्ट एंव स्पीकिंग आज्ञा नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार दीगोद को आदेशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.10.2008 के अनुक्रम में स्पष्ट एंव स्पीकींग आज्ञा प्रदान करें।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा